

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 10 /2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 5 मई, 2015

विषय: दिनांक 18.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 73 (आरई-2013)/2009-2014 के द्वारा अधिसूचित प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया का कार्यान्वयन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01.12.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 77 (आरई-2013)/2009-2014 और दिनांक 18.12.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 78 (आरई-2013)/2009-2014 के साथ पठित दिनांक 18.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 73 (आरई-2013)/2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. वस्त्र को छोड़कर, दिनांक 18.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 73 (आरई-2013)/2009-2014 के द्वारा यथा अधिसूचित एनपीओपी दस्तावेजों में शामिल सभी प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया 01.06.2015 से लागू होगी।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

वस्त्र को छोड़कर प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए दिनांक 18.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 73 (आरई-2013)/2009-2014 के द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया दिनांक 01.06.2015 से लागू होगी।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/190/एएम15/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)